फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

आदुराम वगैरा बनाम रूगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 256/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.19	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हरीराम चौधरी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के कब्जा काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त आराजी मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु में स्थित है। प्रार्थीगण के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त शुदा हक हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द करने, हस्तान्तरण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् उक्त आराजी पैतृक संयुक्त कब्जा काश्त की अविभाजित सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 11.09.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 6, 86, 87, 89, 90, 91, 131, 132, 133, 471/131 रकबा कमशः 68.09, 11.17, 17.01, 12.15, 18.04, 10.05, 22.19, 00.10, 26.08, 10.08 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का अग्रिम बैचान नहीं करें। तथा वर्तमान मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभयपक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 11.09.2019 को पेश हों। 07-8-2019 उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDO) बायतु	
11/09/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकील श्री नरपत [illegible] द्वारा [illegible] ली गई, [illegible] प्रभावली विप्रार्थी संख्या-1 [illegible] व शेष की एडी के इन्तजार [illegible] 09/10/19 को पेश हो। तब तक [illegible] यथावत रहेगा।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

09/10/19

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 के वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। फाईल पेश करना चाहते हैं। मुलतवी किया जाता है। शेष विप्रार्थीगणों की तामील पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इल्तवा होकर पत्रावली फाईल दिनांक 13/11/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार प्रभावी रहेगा।

(हस्ताक्षर)

13/11/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 11/12/19 को पेश हों।

11/12/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 06/01/2020 को पेश हों।

06/01/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 26/02/2020 को पेश हों।

26/02/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 29/05/2020 को पेश हों।

29/05/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद जरिये Not press खारीज हो चुका है। इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः उक्त स्थगन आदेश इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर में क्रम से दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested